न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

रसद विविध :: 18/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली		श्री राजेश्वरसिंह पुत्र चेतनसिंह झाला, निवासी 25, आदर्शनगर, पाली हाल मालिक मैसर्स झाला पैट्रोलियम, गाजनगढ़, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 28/5/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी श्री राजेश्वरसिंह पुत्र चेतनसिंह झाला, निवासी 25, आदर्शनगर, पाली हाल मालिक मैसर्स झाला पैट्रोलियम, गाजनगढ़, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.) के विरुद्ध पेश किया। जिसको दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 31.07.2018 को पेट्रोल व डीजल की अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु प्रार्थी मय प्रवर्तन निरीक्षक, बाली एवं प्रवर्तन निरीक्षक पाली के साथ गाजनगढ़ तहसील रोहट स्थित अप्रार्थी की फर्म मैसर्स झाला पैट्रोलियम पर पहुचें। मौके पर सेल्समैन श्री अनदाराम पुत्र सोनाराम, जाति भाट, निवासी ग्राम हाथलाई, ग्रा.प. गुन्दोज, तहसील पाली एवं सेल्समैन श्री सोहन मेवाडा पुत्र बाबुलाल मेवाडा निवासी ग्राम कंटालिया, तहसील मा.ज. हाल मैसर्स झाला पैट्रलियम, ग्राम गाजनगढ़ उपस्थित मिले। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू सेल्समैन के फर्म की जांच करने पर निम्न सामग्री पाई गई।

क्र.स.	मद	नग	मात्रा
01	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल रेसर	5 लीटर पैकेट के 3 टीन	15 लीटर
02	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल लॉस्मोक 2 टी ऑयल	0.5 लीटर पैकिंग के 33 टीन	16.5 लीटर
03	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल लॉस्मोक 2 टी ऑयल	20 एम.एल. पाउस (4x150=600)	600 पाउस
04	एपी–3 ग्रीस	3 किग्रा के 4 नग	12 किग्रा बॉक्स
05	एपी–3 ग्रीस	3 किग्रा के 4 नग	12 किग्रा बॉक्स
06	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल	20 एम.एल. पाउस (4x150=600)	600 पाउस
07	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल	20 एम.एल. के 480 पाउस लूज बॉक्स	480 पाउस
08	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल एनक्लो 68 हाईड्रोलिक ऑयल	5 लीटर पैकेट के 4 टीन	20 लीटर
09	रेसर ल्यूबरीकेन्ट ऑयल 2 टी ऑयल	40 एम.एल. के 6 X 50	300 पाउस
10	ल्यूबरीकेन्ट ऑयल एनक्लो 68 हाईड्रोलिक ऑयल	5 लीटर पैकेट के 3 टीन	15 लीटर
11	एपी 03 ग्रीस	18 किग्रा की 2 बाल्टी	36 किग्रा
12	ब्रेक ऑयल (एचपी सेल)	0.5 लीटर पैकिंग के 36 टीन	18 लीटर
13	टी क्यू स्टेरिंग ऑयल	1 लीटर पैकिंग के 6 टीन	6 लीटर
14	टी क्यू स्टैरिंग ऑयल	0.5 लीटर पैकिंग के 8 टीन	4 लीटर

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी ने मौके पर उपस्थित अनदाराम से पम्प के ऑयल व ग्रीस अनुज्ञापत्र प्राप्त कर जांच करने पर फर्म का ल्यूबरीकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस का अनुज्ञापत्र संख्या 01/2010 जो दिनांक 03.02.2018 तक वैद्य पाया गया तथा उसके पश्चात आदिनांक तक लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। पम्प पर ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस का कारोबार किया जाना पाया गया तथा इस संबंध में बिकी रजिस्टर दिनांक 25.06.2018 तक संधारित रजिस्टर मौके से जब्त किया गया। पम्प पर उपस्थित लेखाकार ओमप्रकाश से फर्म द्वारा ऑयल एवं ग्रीस के कम्पनी से खरीद के बिल वाउचर, स्टॉक रजिस्टर या अन्य दस्तावेज मांगने पर उस समय उपलब्ध नहीं होना बताया तथा फर्म के ही अन्य ऑफिस 25, आदर्श नगर, पाली में दस्तावेज होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने तथा इस ल्यूबरीकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस के कारोबार किया जाना पाए जाने के फलस्वरूप स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के खण्ड 3 की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु नजदीकी अनुज्ञाधारी श्री जगदीश चौधरी पुत्र राजाराम चौधरी निवासी ग्राम मण्डिया, तहसील पाली हाल मैनेजर मैसर्स आईमाता पैट्रोलियम, ग्राम मण्डिया तहसील पाली (अनुज्ञापत्र सं. 10/2013) को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा ल्यूबरीकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस के कारोबार किया जाना पाए जाने के फलस्वरूप स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के खण्ड 3 की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पैट्रोल पम्प पर पडा ल्यूब ऑयल व ग्रीस को गलत व अनुचित रूप से जब्त किया है। उक्त जब्त सुदा सामग्री अप्रार्थी के लाईसेन्ससुदा पेट्रोल पम्प पर पूर्व में जारी लाईसेन्स संख्या 01/2010 जिसका नवीनीकरण दिनांक 03.02.2018 तक किया गया था, उक्त अवधि के दौरान क्रय किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त लाईसेन्स के नवीनीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण एवं विक्रय हेतु जिला रसद कार्यालय के अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होने, लाईसेन्स बाबत स्पष्ट गाईडलाईन नहीं होने के कारण एवं जिला कलक्टर महोदय, पाली की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 13.07.2018 में दिए गए निर्देशों की पालना में लाईसेन्स नवीनीकरण बाबत जिला रसद अधिकारी, पाली के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जिसके लम्बित रहते जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 31.07.2019 को अप्रार्थी की फर्म से उक्त सामग्री जब्त कर ली। अप्रार्थी द्वारा ल्यूबरिकेन्ट ऑयल व ग्रीस मौके पर न तो किसी को विक्रय किया जा रहा था तथा न ही प्रार्थी को अप्रार्थी की फर्म से ऐसा कोई साक्ष्य मिला। जो रजिस्टर प्रार्थी द्वारा जब्त किया गया है। उसमें सिर्फ आंकडो का ही संधारण किया गया है एवं वह प्रामाणिक भी नहीं है। इस संबंध में अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ जब्त सामग्री के क्रय सुदा बिल भी पेश किए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का जब्तसुदा माल रिलीज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की फर्म झाला पेट्रोलियम, गाजनगढ़ पर अप्रार्थी द्वारा ल्यूबरीकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस के भण्डारण एवं विक्रय किए जाने बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से ऑयल व ग्रीस अनुज्ञापत्र प्राप्त कर जांच करने पर फर्म का ल्यूबरीकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस का अनुज्ञापत्र संख्या 01/2010 जो दिनांक 03.02.2018 तक नवीनीकृत किया पाया गया तथा उसके पश्चात लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इसकी ताईद अप्रार्थी द्वारा स्वयं ने अपने जवाब के कथन की है कि उसने लाईसेन्स दिनांक 03.02.2018 को समाप्त हो जाने के पश्चात भी दिनांक 13.07.2018 तक जिला रसद अधिकारी, पाली के समक्ष लाईसेन्स नवीनीकरण के संबंध में आवेदन पेश नहीं किया था तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ जिला रसद कार्यालय में लाईसेन्स नवीनीकरण बाबत जो आवेदन किया उसकी प्रति पेश की है, उसमें भी दिनांक का अंकन कहीं नहीं है, न ही जिला रसद अधिकारी के

जिला कलेक्टर, पाली

कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक या प्रस्तुत करने की रसीद पेश की गई, जिससे यह माना जा सके कि अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अप्रार्थी के कथन कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण एवं विक्रय हेतु जिला रसद अधिकारी के अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है, कि ताईद में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्नेहक तेल और ग्रीस प्रसंस्करण प्रदाय और वितरण अधिनियम, 1987 की धारा 5(6) के अनुसार लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु आवेदन वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथी से तीन माह पूर्व पेश कर देना चाहिए था। अप्रार्थी की फर्म से जब्त रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा लाईसेन्स अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी ल्यूबरीकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस का संग्रहण एवं विक्रय किया गया है। जो विधी सम्मत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ ल्यूबरिकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस क्रय करने के जो बिल पेश किए है, उनमें अन्तिम बिल संख्या 11278GI7000594 दिनांक 26.02.2018 राशि 419107.92/– रूपये का (HP MILCY TRUBO AND HP AP 3 GREASE DRUM) क्रय किया जाना स्पष्ट है, जो लाईसेन्स अवधि के पश्चात क्रय करने का प्रमाण है। अप्रार्थी द्वारा संधारित रजिस्टर में आवक व वितरण का उल्लेख है। प्रथम तो रजिस्टर का प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है। फिर भी अप्रार्थी की फर्म से वक्त जांच कब्जे में लिया गया था एवं अप्रार्थी की फर्म पर उपस्थित लेखाकार व सेलसमैन ने इस रजिस्टर को आवक एवं विक्रय रजिस्टर बताया था। उसके अनुसार भी उक्त ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस बिक्री रजिस्टर में भी माह अप्रेल 2018, मई 2018 एवं जून 2018 में विक्रय दर्शाया गया है, जिससे अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्ती के पश्चात भी विक्रय किया जाना सिद्ध होता है अन्य दस्तावेज बिल वगैरा अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच लेखाकार ने बिल बुक, वाऊचर, स्टॉक रजिस्टर इत्यादी आदर्श नगर पाली स्थित ऑफिस में होना बताया, जो आज तक अप्रार्थी द्वारा पेश ही नहीं किए गए, जबकि उपरोक्त सभी का बिक्री स्थल पर होना आवश्यक है। जो अनुज्ञा पत्र में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, जो ल्यूबरिकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस का क्रय, संग्रहण, भण्डारण एवं विक्रय किया गया हैं, जो अवैधानिक व विधी विरूद्ध है।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा जब्तसुदा ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस को सुपुदर्गीदार से प्राप्त कर नियमानुसार प्रचलित दर पर विक्रय कर प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा करा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली